न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 47/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/79

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – 4 फलोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई।

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री रतन सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह पता ग्राम पोस्ट अरथुना जिला बॉसवाडा (ऋणी/अप्रार्थी)
2. श्रीमती गजरा कुंवर पत्नि श्री रतन सिंह पता राजपुत मौहल्ला, अरथुना जिला बॉसवाडा (ऋणी/ अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– **25.01.2023**

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय अन्ना सलाई, चैन्नई ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– श्री रतन सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह पता ग्राम पोस्ट अरथुना जिला बॉसवाडा (ऋणी) 2– श्रीमती गजरा कुंवर पत्नि श्री रतन सिंह पता राजपुत मौहल्ला, अरथुना जिला बॉसवाडा (ऋणी) को दिनांक 13–01–2020 को 1005000/– (अक्षरे दस लाख पॉच हजार मात्र) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 09–07–2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 22–08–2022 तक कुल बकाया ऋण राशि 1120016 रू. (ग्यारह लाख बीस हजार सोलह रुपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। गिरवीकृत आवासीय सम्पत्ति अप्रार्थी रतन सिंह के मालकाना हक की खसरा सं. 2028, प्लॉट साईज पूर्व से पश्चिम 38 फीट व उत्तर से दक्षिण 32 फीट 6 इंच पर पुराना मकान माप 1197 वर्ग फीट स्थित मकान संख्या 172, राजपुत मौहल्ला, ग्राम पोस्ट अरथुना तहसील गढ़ी जिला बॉसवाडा कुल क्षेत्रफल 1197 वर्गफीट है जिसके चारो सीमाओ में पूर्व में बाडा खुशपाल जैन, पश्चिम में मकान गमीर सिंह चौहान, उत्तर में बाडा खुशपाल जैन व खाली भूमि दक्षिण में मैन रोड को बतौर प्रतिभूति हित से सॉम्य बन्धक किया है, उसे आधिपत्य लेने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:16 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन का प्रमाण पत्र (कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 29 के अनुसार) दिनांक 09.09.2016 अनुसार कंपनी का नाम बदलकर ईक्विटास फायनेंस लिमिटेड से बदल कर ईक्विटास स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड किया गया है। प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु वित्तिय संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत **दिनांक 24-08-2022** को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक **13-01-2020** को **1005000/- (अक्षरे दस लाख पॉच हजार मात्र)** ऋण स्वीकृत किया गया था अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर **दिनांक 09-07-2022 को एन.पी.** ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 25.11.2022 को जारी किये गये। दिनांक 09.12.2022 को अप्रार्थीगणो की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार भट्ट व श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 23.12.2022, 05.01.2023, 12.01.2023 को अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने समय चाहने निवेदन करने पर न्यायहित में समय दिया गया, किन्तु जवाब प्रस्तुत नही किया। दिनांक 25.01.2023 को अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पुनः जवाब हेतु समय चाहा। जवाब हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है, अब ओर समय दिया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः अप्रार्थीगणो के जवाब बंद किये जाने आदेश दिये जाते है। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत **दिनांक 24-08-2022** को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक **13-01-2020** को **1005000/-** (अक्षरे दस लाख पॉच हजार मात्र) ऋण स्वीकृत किया गया था अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:16 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 09–07–2022 को एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक **22–08–2022** तक कुल **बकाया ऋण राशि 1120016 रू. (ग्यारह लाख बीस हजार सोलह रुपया)** एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने ऋण राशि जमा कर एन.ओ.सी पेश करने हेतु कुछ समय दिये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी/ अरथुना को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय अन्ना सलाई, चैन्नई को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:16 IST
Reason: SelfAttested